

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:-

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु 3-फेज विद्युत कनेक्शन एवं 100 KVA ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन के लिए कुल राशि 2,23,905.00 (दो लाख तेइस हजार नौ सौ पाँच) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु 3-फेज विद्युत कनेक्शन एवं 100 KVA ट्रांसफॉर्मर के अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बक्सर द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर के पत्रांक-07, दिनांक-03/01/2020 द्वारा कुल राशि 2,23,905.00 (दो लाख तेइस हजार नौ सौ पाँच) रु० मात्र का प्राप्त हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बक्सर द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि 2,23,905.00 (दो लाख तेइस हजार नौ सौ पाँच) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- 2- इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष-0101-नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड-26-2230031010101 के विषय शीर्ष-0101-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राक्कलनित राशि से की जाएगी।
- 3- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बक्सर होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बक्सर से की जायेगी।
- 5- संचिका संख्या-टी-3 (यो०)/भवन-01/2020 के पृष्ठ -04-...../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 6- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-01/2020 -...../प ट ना, दिनांक-...../...../2020

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव,

श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3 (यो०)/भवन-01/2020 -512...../प ट ना, दिनांक-20/02/2020

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बक्सर/प्राचार्य, महिला औ० प्र० संस्थान, बक्सर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Suryakantmani

उप सचिव, 20/2/2020

श्रम संसाधन विभाग